



फैक्स नं. 0522-2286643
फैक्स नं. 0522-2287701

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

सं: 1162 - मा०सं०प्र०-०२/उनिलि/2015-४८-मा०सं०प्र०-०२/2001

दिनांक: २० जुलाई, 2015

फैक्स

- (1) मुख्य अभियन्ता (स्तर- I / II),
अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह/पीपीएमएम/तापीय परिचालन,
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा(झौंसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/लखनऊ।
- (2) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा),
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषय :- उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के समस्त पूर्णकालिक अधिकारी/कर्मचारी, जो
दिनांक 01.01.1996 से प्रभावी वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं अथवा जिन्होंने
दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया है को
दिनांक 01.01.2015 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० शासन के आदेश सं: 4/2015/वे०आ०-१-६००(२)/दस-२०१५-४२(एम)/२००८,
दिनांक 08.06.2015 के सन्दर्भ में तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के आदेश संख्या:
298-मा०सं०प्र०-०२/उनिलि/2015, दिनांक 20.02.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० राज्य
विद्युत उत्पादन निगम लि0 के ऐसे समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारी/कर्मचारी, जो किन्हीं कारणोंवश से
दिनांक 01.01.1996 से प्रभावी वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं अथवा जिन्होंने दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन
संरचना का चयन नहीं किया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित नहीं हुये हैं, को
दिनांक 01 जनवरी, 2015 से निमानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान अनुमन्य होगा :-

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01 जनवरी, 2015	मूल वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 223 प्रतिशत

2. इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत उत्पादन निगम के आदेश
सं: सचिव/उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/1154, दिनांक अगस्त 30, 2000 के प्रस्तर 2.7 एवं 8 में उल्लिखित प्राविधिन
यथावत् लागू रहेंगे।
3. महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के अन्तर्गत वेतन नहीं
माना जायेगा।

क्रमशः.....2


4. इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या सेवा मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हो, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।
5. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्तो की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णाकिंत किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णाकिंत किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।
6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्तो की दिनांक 01 जनवरी, 2015 एवं अग्रतर भुगतान/अवशेषों की देयता की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जायेगी :—

I- दिनांक 01 जनवरी, 2015 से दिनांक 31 मई, 2015 तक की मंहंगाई भत्तो की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी, और इस प्रकार जमा धनराशि को सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जून, 2015 से जमा माना जायेगा और इसी तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते पर लागू दर से देय होगा, इस प्रकार सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 01 जून, 2016 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें सामान्य/अशंदायी भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्तो की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 जून, 2015 से (माह जून, 2015 का भुगतान दिनांक 01 जुलाई, 2015 को देय) नकद किया जायेगा।

II- यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दी जायेगी।

III- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस निगमादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयीं हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 01 जनवरी, 2015 से इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक सेवा निवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्तो के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

- 7- निगम के आदेश सं0 सचिव/उनिलि/सी0पी0एफ0ट्रस्ट/952 दिनांक 02.12.2006 के अनुसार बढ़ी हुई महंगाई भत्तो के अवशेषों के भुगतान सम्बन्धी आदेशों के तारतम्य में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 कन्ट्रॉब्यूटी प्रोविडेण्ट फण्ड ट्रस्ट से आवारित निगमीय कार्मिकों के प्रकरण में यह धनराशि सी0पी0एफ0 खातों में जमा की जायेगी और इस राशि के 10 प्रतिशत समतुल्य नियोक्ता अंशदान के रूप में निगम द्वारा सी0पी0एफ0 मद में दी जायेगी।
- 8- उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई महंगाई भत्तो की धनराशि के आहरण हेतु लेखा इकाई द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।




भवदीय,
 (वी0पी0 काटियार)
 उप महाप्रबन्धक (मा0स0-02)
 कमश:.....3

सं.: 1162 - (1) - मा० सं० प्र० - 02 / उनिलि / 2015, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
 - (2) निदेशक(कार्मिक) / (तकनीकी) / (प्रोजेकट) / (वित्त) (वाणिज्य एवं नव परियोजनाएं), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
 - (3) मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
 - (4) मुख्य अभियन्ता (मा०सं०) / (मा०सं०-02/03) / (कारपोरेट स्ट्रेटजी) / (ईंधन) / (सुरक्षा एवं पर्यावरण) / (जानपद) / (वाणिज्य) / (आर०एण्डएम०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
 - (5) महाप्रबन्धक (लेखा / सम्प्रेक्षा) / सलाहकार (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
 - (6) कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
 - (7) अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, मा०सं०-01/02/03/04/05/06 / रिफार्म / टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
 - ✓ (8) अधीक्षण अभियन्ता(रिफार्म), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
 - (9) अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
 - (10) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
 - (11) मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
 - (12) समर्त उप सचिव / अधिशासी अभियन्ता / वरिष्ठ लेखाधिकारी / वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / लेखाधिकारी(वै० एवं ल०) / (पेंशन) / अनुसचिव / अनुभाग अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- कट फाइल।

आज्ञा से,

 (वी०पी० कैटप्रार)
 उप महाप्रबन्धक (मा०सं०-02)